

## बेलागवी सीमा विवाद

### प्रलिमिस के लिये:

एस.के. धर समति, जे.वी.पी. समति, महाजन समति, राज्य पुनर्गठन अधिनियम।

### मेन्स के लिये:

भारत में राज्यों का पुनर्गठन और संबंधित विवाद।

### चर्चा में क्यों?

कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य बेलागवी को लेकर दशकों पुराना विवाद तथा महाराष्ट्र जसे बेलगाम ज़लिया कहता है फरि से सुरक्षियों में बना हुआ है।

- बेलगाम या बेलागवी वर्तमान में कर्नाटक राज्य का हसिसा है लेकिन महाराष्ट्र द्वारा इस पर अपना दावा किया जाता है।



### प्रमुख बातें

#### बेलागवी सीमा विवाद के बारे में:

- वर्ष 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन से आहत महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के पुनः समायोजन की मांग की।
- महाराष्ट्र ने अधिनियम की धारा 21 (2) (b) को लागू किया और कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को जोड़ने पर अपनी आपततवियक्त करते हुए गृह मंत्रालय को एक जु़जापन सौंपा।
- महाराष्ट्र द्वारा 2,806 वर्ग मील के क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें 814 गाँव शामिल थे और लगभग 6.7 लाख की कुल आबादी के साथ बेलागवी, कारवार और नपिपनी की तीन शहरी बस्तियाँ। स्वतंत्रता से पहले ये सभी मुंबई परेसीडेंसी का हसिसा थे।
  - ये गाँव उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक के बेलागवी, उत्तर कन्नड़ और उत्तर-पूर्वी कर्नाटक के बीदर और गुलबरगा ज़लियों में फैले हुए हैं जो सभी महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं।
- बाद में जब दोनों राज्यों द्वारा चार सदस्यीय समतिका गठन किया गया, तो महाराष्ट्र ने मुख्य रूप से लगभग 3.25 लाख की आबादी और

1,160 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल के साथ कन्नड़ भाषी 260 गाँवों को स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की । ।

- यह 814 गाँवों और तीन शहरी बस्तियों की मांग को स्वीकार करने के बदले में था, जिसे कर्नाटक राज्य द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया ।

- **महाराष्ट्र के दावे का आधार:**

- अपनी सीमा के पुनः समायोजन की मांग करने का महाराष्ट्र का दावा भाषायी बहुमत और लोगों की इच्छाओं के आधार पर था । बैलागवी और आसपास के क्षेत्रों पर दावा मराठी भाषी लोगों और भाषायी एकरूपता पर आधारित था, अतः इसने कारबाह और सुपा पर अपना दावा प्रस्तुत किया क्योंकि यहाँ कौंकणी को मराठी की उपबोली के रूप में बोला जाता है ।
- यह तरक इस सदियांत पर आधारित था कि गाँव गणना की इकाई है और प्रत्येक गाँव में भाषायी जनसंख्या की गणना की जाती है । महाराष्ट्र ऐतिहासिक तथ्य की ओर भी इशारा करता है कि इन मराठी भाषी क्षेत्रों में राजस्व रकिंग्ड भी मराठी भाषा में ही रखा जाता है ।

- **कर्नाटक की स्थिति:**

- कर्नाटक ने तरक दिया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सीमाओं का समझौता अंतमि है ।
- राज्य की सीमा न तो अस्थायी थी और न ही लचीली । राज्य का तरक है कि यह मुद्दा उन सीमा मुद्दों को फरि से खोल देगा जनि परअधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है, अतः ऐसी मांग की अनुमतिनहीं दी जानी चाहयि ।

- **समस्या के समाधान के लिये उठाए गए कदम:**

- वर्ष 1960 में दोनों राज्य प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधियों के साथ एक चार सदस्यीय समिति गठित करने पर सहमत हुए । नकिटा के मुद्दे को छोड़कर समितिएक सर्वसम्मत नरिण्य पर नहीं पहुँच सकी ।
- 1960 और 1980 के दशक के बीच कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रयों ने इस उलझे हुए मुद्दे का समाधान खोजने के लिये कई बार मुलाकात की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ ।

- **केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया:**

- केंद्र सरकार ने स्थितिका आकलन करने के लिये वर्ष 1966 में महाजन समतिका गठन किया । दोनों पक्षों, महाराष्ट्र और तत्कालीन मैसूरु राज्य के प्रतिनिधिसमितिका हसिसा थे ।
- 1967 में समिति ने सफिराशी की कि कर्नाटक के कारबाह, हलायिल और सुपरणा तालुका के कुछ गाँव महाराष्ट्र को दे दिये जाएँ लेकिन बैलागवी को दक्षपणी राज्य के साथ छोड़ दिया ।

- **सर्वोच्च न्यायालय का जवाब:**

- 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहयि और भाषायी मानदंड पर विचार नहीं किया जाना चाहयि क्योंकि इससे अधिक व्यावहारिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं ।
- इस मामले की सुनवाई अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है ।

- **विभिन्न राज्यों के बीच अन्य सीमा विवाद:**

- असम और मजिरेम के बीच सीमा विवाद
- ओडिशा सीमा विवाद

## भारत में राज्यों का पुनर्गठन:

- वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 550 असंबद्ध रियासतें शामिल थीं ।
- वर्ष 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों का चार गुना वर्गीकरण था- भाग A, भाग B, भाग C और भाग D राज्य ।
  - भाग A राज्यों में ब्रटिश भारत के नौ तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे ।
  - भाग B राज्यों में विधियकियों के साथ नौ पूरववर्ती रियासतें शामिल थीं ।
  - भाग C राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत ब्रटिश भारत प्रांत और कुछ पूरववर्ती रियासतें शामिल थीं ।
  - भाग D राज्य में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे ।
- उस समय राज्यों का समूहीकरण भाषायी या सांस्कृतिक विभाजन के बजाय राजनीतिक और ऐतिहासिक विचारों के आधार पर किया जाता था, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था थी ।
- बहुभाषी प्रकृति और विभिन्न राज्यों के बीच मौजूद मतभेदों के कारण राज्यों को स्थायी आधार पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी ।
- इस संदर्भ में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर गौर करने के लिये सरकार द्वारा 1948 में एस.के. धर समतिका गठन किया गया था ।
  - आयोग द्वारा भाषायी आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार को शामिल करते हुए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को प्रारम्भिकता दी गई ।
  - इससे बहुत आक्रोश पैदा हुआ और एक अन्य भाषायी प्रांत समतिकी नियुक्ति की गई ।
- **दसिंबर 1948** में इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभीसीतारमैया की जेवीपी समतिका गठन किया गया था ।
  - समतिने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रपिरेट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को खारज़ि करते हुए कहा कि जिनता की मांग के आलोक में इस मुद्दे को नए सरि से देखा जा सकता है ।
- हालाँकि अक्टूबर 1953 में विरोध के कारण भारत सरकार ने तेलुगु भाषायी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके पहला भाषायी राज्य बनाया जसे आंध्र राज्य के रूप में जाना जाता है ।
- **22 दसिंबर, 1953** को जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिये फ़ज़ल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया ।
  - आयोग ने 1955 में अपनी रपिरेट प्रस्तुत की तथा सुझाव दिया कि पूरे देश को 16 राज्यों और तीन केंद्र प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहयि ।
- सरकार ने सफिराशी से पूरी तरह सहमत न होते हुए नवंबर 1956 में पारति राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया ।

- वर्ष 1956 में राज्यों के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन के बाद भी लोकप्रथा आंदोलनों और राजनीतिक परस्थितियों के दबाव के कारण भारत के राजनीतिक मानचित्र में नरितर परविरतन होते रहे।
- 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवधान (जम्मू और कश्मीर के लिये आवेदन) आदेश, 2019 जारी किया था।
  - इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को दो नए केंद्रशासित प्रदेशों (UTs)- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में वभाजित कर दिया गया।
- हाल ही में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (केंद्रशासित प्रदेशों का विलय) अधनियम, 2019 द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों (UTs)- दमन और दीव (D&D) तथा दादरा और नागर हवेली (DNH) का विलय कर दिया गया है।
- वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/belagavi-border-dispute>

